

*आज दिनांक 23.05.2024 को अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर *श्री सत्यजीत गुप्ता* के मार्गदर्शन, अपर पुलिस अधीक्षक *श्री शशिशेखर सिंह* के पर्यवेक्षण में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में सन्तकबीरनगर पुलिस द्वारा किये गये सराहनीय कार्य*—

थाना महुली पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए छिनैति की घटना में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर *श्री सत्यजीत गुप्ता* के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत क्षेत्राधिकारी धनघटा *श्री अजय सिंह* के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक धनघटा *श्री सतीश कुमार सिंह* के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा आज दिनांक 23.05.2024 को मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 224/2024 धारा 394/504/506/411 भादवि में वांछित अभियुक्त नाम पता शिवपाल पुत्र कैलाश गौड़ निवासी ग्राम शनिचरा पूर्वी थाना जनपद संतकबीरनगर को थाना गेट से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण—

शिवपाल पुत्र कैलाश गौड़ निवासी ग्राम शनिचरा पूर्वी थाना जनपद संतकबीरनगर।

आपराधिक इतिहास:-

1- मु0अ0सं0 224/2024 धारा 394/504/506/411 भादवि थाना महुली जनपद सन्तकबीरनगर।

2. मु0अ0सं0 539/15 धारा 325/323/504/506 भादवि थाना महुली जनपद सन्तकबीरनगर।

बरामदगी विवरण-

एक अदद मोबाइल ओप्पो कम्पनी व 950/-रूपया।

विवरण- दिनांक 22.05.2024 को दैनिक समाचार पत्र के पत्रकार वादी अंगद कुमार पाठक पुत्र प्रेमचन्द पाठक के साथ अभियुक्त उपरोक्त द्वारा मारपीट करते हुए मोबाइल व 950 रु0 की छिनैती की घटना की गयी थी, जिसके उपरांत थाना महुली पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए आज दिनांक 23.05.2024 को छिनैती के पैसों व मोबाइल की शत-प्रतिशत बरामदगी करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण —

वरि0 उ0नि0 श्री रामकरन निषाद, हे0का0 ज्ञानचन्द्र यादव।

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) में 04 अभियुक्त गिरफ्तार

- *थाना दुधारा पुलिस द्वारा* 151 / 107 / 116 सीआरपीसी में 02 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- *थाना बखिरा पुलिस द्वारा* 151 / 107 / 116 सीआरपीसी में 01 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- *थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा* 151 / 107 / 116 सीआरपीसी में 01 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 77 वाहनों से 1,16,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 23.05.2024 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रों में बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 77 वाहनों से 1,16,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 3307 द्वारा दो पक्षों के मारपीट/विवाद में घायल 02 व्यक्तियों को भेजवाया गया अस्पताल— पीआरवी 3307 को थाना दुधारा क्षेत्रांतर्गत खटियावां से इवेन्ट संख्या 45221 से कालर द्वारा दो पक्षों में किसी बात को लेकर विवाद की सूचना पर 02 व्यक्तियों (01-जनकी प्रसाद पुत्र जगमोहन 02-अर्चना देवी पत्नी दीपक कुमार निवासी खटियावां थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर) के घायल होने के संबंध में सूचना दिया गया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा घटनास्थल पर पहुंचकर घायल व्यक्ति को एंबुलेंस की सहायता से अस्पताल भेजवाया गया साथ ही घटना के सम्बन्ध में थाना दुधारा को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुंचकर घायल व्यक्ति को अस्पताल भेजवाकर उसकी जान बचाई गई, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई।

पीआरवी स्टाफ- आ0 विजय कुमार पासवान, हो0चा0 विरेन्द कुमार।